न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(रामकरण सिंह, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :– 108/2022

निर्णय दिनांक :– 23.09.2025

उनवान

1. कालू पुत्र नारायण जाति माली उम्र 51 वर्ष निवासी जिरात की ढाणी शिवाली कॉलोनी कस्बा निवाई जिला टोंक
2. धन्ना पुत्र नारायण जाति माली उम्र 45 वर्ष निवासी जिरात की ढाणी शिवाली कॉलोनी कस्बा निवाई जिला टोंक
3. राजेश पुत्र बाबू जाति माली उम्र 35 वर्ष निवासी जिरात की ढाणी शिवाली कॉलोनी कस्बा निवाई जिला टोंक
4. गिर्राज पुत्र बाबू जाति माली उम्र 32 वर्ष निवासी जिरात की ढाणी शिवाली कॉलोनी कस्बा निवाई जिला टोंक
5. अशोक पुत्र बाबू जाति माली उम्र 30 वर्ष निवासी जिरात की ढाणी शिवाली कॉलोनी कस्बा निवाई जिला टोंक
6. राकेश पुत्र बाबू जाति माली उम्र 28 वर्ष निवासी जिरात की ढाणी शिवाली कॉलोनी कस्बा निवाई जिला टोंक
7. राजाराम पुत्र कन्हैयालाल जाति माली उम्र 32 वर्ष निवासी जिरात की ढाणी शिवाली कॉलोनी कस्बा निवाई जिला टोंक
8. हनुमान पुत्र कन्हैयालाल जाति माली उम्र 28 वर्ष निवासी जिरात की ढाणी शिवाली कॉलोनी कस्बा निवाई जिला टोंक
9. शंकर पुत्र कन्हैयालाल जाति माली उम्र 25 वर्ष निवासी जिरात की ढाणी शिवाली कॉलोनी कस्बा निवाई जिला टोंक
10. रवि पुत्र कन्हैयालाल जाति माली उम्र 23 वर्ष निवासी जिरात की ढाणी शिवाली कॉलोनी कस्बा निवाई जिला टोंक

वादीगण

बनाम

1. मन्नी पत्नी कल्या जाति माली निवासी जिरात की ढाणी शिवाली कॉलोनी कस्बा निवाई जिला टोंक
2. श्रीराम पुत्र जगदीश माता मन्नी जाति माली निवासी रेडियास तालाब टोंक जिला टोंक
3. शान्ति पत्नी प्रभू जाति माली निवासी मल्ला माली के सामने बम्बोर रोड टोंक जिला टोंक
4. तहसीलदार निवाई
5. उप पंजीयक निवाई

प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा खातेदारी, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :–

1. **श्री रामावतार शर्मा, अधिवक्ता वादीगण**
2. **श्री सवाई मोज गुर्जर, अधिवक्ता प्रतिवादीगण**

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का सार संक्षिप्त में है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्व. जगन्नाथ के जायन्दा वारिस एवं उत्तराधिकारी है। स्व0 जगन्नाथ के तीन सन्तान मूल्या, नारायण, कल्या पैदा हुये जिसमें से मूल्या के कोई पुत्र सन्तान नही थी तथा कल्या भी ला औलाद ही फोत हुआ है। तीनों भाईयो में नारायण के ही पुत्र सन्ताने थी, इसी कारण तीनों ही भाई संयुक्त रुप शामलाति परिवार में निवास करते रहे। जिन्होने अपने

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

जीवन काल में शामलाती परिवार में रहते हुये मूल्या जो कि परिवार में वडा एवं कर्ता खानदान था के नाम से भूमि बसाई गई भूमियों ग्राम भगवानपुरा एवं कस्वा निवाई में स्थित है। ग्राम भगवानपुरा के आराजी ख0नं0 72/436 रकबा 4 बिस्वा, ख0नं0 424 रकबा 6 बिस्वा में 1/16 हिस्सा, ख0नं0 82 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 422 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, में 1/4 हिस्सा, ख0नं0 71 रकबा 6 बिस्वा में 1/8 हिस्सा, तथा कस्वा निवाई के आराजी ख0नं0 2039 रकबा 9 बिस्वा, ख0नं0 2563 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, ख0नं0 2041 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा में 1/2 हिस्सा, ख0नं0 2036 रकबा 3 बिस्वा में 1/12 हिस्सा, ख0नं0 1918 रकबा 7 बिस्वा, ख0नं0 1919 रकबा 3 बिस्वा, ख0नं0 2030 रकबा 13 बिस्वा में 1/3 हिस्सा, ख0नं0 1898 रकबा 2 बिस्वा, ख0नं0 1899 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 1900 रकबा 8 बिस्वा, ख0नं0 1901 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 1902 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 1903 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, में 1/3 हिस्सा पैत्रिक कृषि आराजियात है। जिस पर वादीगण अपने ताउ, पिता, चाचा के जीवनकाल से आज दिन तक मौके पर काश्त करत चले आ रहे है। वादीगण एवं उनके पिता नारायण ने ही मूल्या एवं उनकी पत्नी गुलाब की सम्पूर्ण हारी विमारी, देखरेख, सार संभाल आदि कार्य उनके जीवित रहते की तथा उनकी मृत्यु होने पर उनका हिन्दू धर्म एवं रिति रिवाजो के अनुसार सम्पूर्ण कार्य किया। मूल्या का स्वर्गवास अचानक हो जाने के बाद उनकी पत्नी गुलाब भी वादीगण के ही पास रही जिसकी सम्पूर्ण देखभाल वादीगण द्वारा किये जाने से प्रसन्न एवं खुश होकर उसने वादीगण के हक में एक वसीयत पत्र दिनांक 28.02.2004 को 100/– रुपये के स्टाम्प पर रुबरु तहरीर व तकमील करवाकर वादीगण को वादग्रस्त भूमि में मूल्या के नाम दर्ज हक व हिस्से का मालिक स्वामी बनाकर भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया था। वादीगण का मूल्या के जीवनकाल से आज दिन तक लगातार बिना किसी रोक टोक के शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण के मन एवं नियत में खोट आ जाने से राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर सम्पूर्ण भूमि को अन्य व्यक्ति को बेचान कर खुर्द बुर्द करने तथा नाजायज लाभ प्राप्त करना चाहते है। अतः वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादीगण के कब्जे काश्त आधिपत्य में प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, बाधा, मजाहमत, आदि स्वंय नही करे तथा उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द रहन, बख्शीश, हस्तान्तरण आदि स्वंय नही करें और जरिये ऐजेन्ट, नौकर, पारिवारिक व्यक्ति, अधिनस्थ कर्मचारी या अन्य किसी व्यक्ति से नही करवावें तथा हमेशा – हमेशा के लिए पाबन्द रहें।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री सवाई भोज गुर्जर अधिवक्ता द्वारा वकालतनाम पेश कर इकबाली जवाब दावा पेश किया जाकर वादीगण का वाद डिक्री फरमाये जाने में कोई आपति व उज्र नही होना स्वीकार किया।

प्रकरण में दिनांक 2.11.2022 को पक्षकारान के मध्य राजीनाम होकर पेश हुआ जो दिनांक 09.11.2022 को तस्दीक किया गया। जिसके अनुसार बरुऐ राजीनामा वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री किया जावे जिसमें प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति व उज्र नही है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता के बहस सुनी गयी। बहस में उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री फरमाये जाने पर सहमति प्रकट की गयी।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं पक्षकारान द्वारा पस्तुत राजीनामा का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। जिसके संबंध में उभयपक्ष के अधिवक्तागण एवं पक्षकारान ने भी अपनी सहमति प्रकट कर दी है एवं कोई आपत्ति नही होना दौराने बहस अवगत करवाया है।

अतः वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर ग्राम भगवानपुरा के आराजी ख0नं0 72/436 रकबा 4 बिस्वा, ख0नं0 424 रकबा 6 बिस्वा में 1/16 हिस्सा, ख0नं0 82 एवं ख0नं0 422 कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, में 1/4 हिस्सा, ख0नं0 71 रकबा 6 बिस्वा में 1/8 हिस्सा, तथा कस्बा निवाई के आराजी ख0नं0 2039 रकबा 9 बिस्वा, ख0नं0 2563 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, ख0नं0 2041 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा में 1/2 हिस्सा, ख0नं0 2036 रकबा 3 बिस्वा में 1/12 हिस्सा, ख0नं0 1918, 1919, 2030 किता 3 कुल रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा में 1/3 हिस्सा, ख0नं0 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903 किता 6 कुल रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, में 1/3 हिस्से का मूल्या पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। पर्चा डिक्री तरबीब हो।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकरण सिंह चौधरी (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(रामकरण सिंह, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिक्री मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

1. कालू पुत्र नारायण जाति माली उम्र 51 वर्ष निवासी जिरात की ढाणी शिवाली कॉलोनी कस्बा निवाई जिला टोंक
2. धन्ना पुत्र नारायण जाति माली उम्र 45 वर्ष निवासी जिरात की ढाणी शिवाली कॉलोनी कस्बा निवाई जिला टोंक
3. राजेश पुत्र बाबू जाति माली उम्र 35 वर्ष निवासी जिरात की ढाणी शिवाली कॉलोनी कस्बा निवाई जिला टोंक
4. गिर्राज पुत्र बाबू जाति माली उम्र 32 वर्ष निवासी जिरात की ढाणी शिवाली कॉलोनी कस्बा निवाई जिला टोंक
5. अशोक पुत्र बाबू जाति माली उम्र 30 वर्ष निवासी जिरात की ढाणी शिवाली कॉलोनी कस्बा निवाई जिला टोंक
6. राकेश पुत्र बाबू जाति माली उम्र 28 वर्ष निवासी जिरात की ढाणी शिवाली कॉलोनी कस्बा निवाई जिला टोंक
7. राजाराम पुत्र कन्हैयालाल जाति माली उम्र 32 वर्ष निवासी जिरात की ढाणी शिवाली कॉलोनी कस्बा निवाई जिला टोंक
8. हनुमान पुत्र कन्हैयालाल जाति माली उम्र 28 वर्ष निवासी जिरात की ढाणी शिवाली कॉलोनी कस्बा निवाई जिला टोंक
9. शंकर पुत्र कन्हैयालाल जाति माली उम्र 25 वर्ष निवासी जिरात की ढाणी शिवाली कॉलोनी कस्बा निवाई जिला टोंक
10. रवि पुत्र कन्हैयालाल जाति माली उम्र 23 वर्ष निवासी जिरात की ढाणी शिवाली कॉलोनी कस्बा निवाई जिला टोंक

वादीगण

बनाम

1. मन्नी पत्नी कल्या जाति माली निवासी जिरात की ढाणी शिवाली कॉलोनी कस्बा निवाई जिला टोंक
2. श्रीराम पुत्र जगदीश माता मन्नी जाति माली निवासी रेडियास तालाब टोंक जिला टोंक
3. शान्ति पत्नी प्रभू जाति माली निवासी मल्ला माली के सामने बम्बोर रोड टोंक जिला टोंक
4. तहसीलदार निवाई
5. उप पंजीयक निवाई

प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा खातेदारी, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा संख्या – 108/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री रामकरण सिंह, आर.ए.एस. व हाजरी श्री रामावतार शर्मा अधिवक्ता वादी एवं श्री सवाई भोज गुर्जर अधिवक्ता प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :–

वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर ग्राम भगवानपुरा के आराजी ख0नं0 72/436 रकबा 4 बिस्वा, ख0नं0 424 रकबा 6 बिस्वा में 1/16 हिस्सा, ख0नं0 82 एवं ख0नं0 422 कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, में 1/4 हिस्सा, ख0नं0 71 रकबा 6 बिस्वा में 1/8 हिस्सा, तथा कस्बा निवाई के आराजी ख0नं0 2039 रकबा 9 बिस्वा, ख0नं0 2563 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, ख0नं0 2041 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा में 1/2 हिस्सा, ख0नं0 2036 रकबा 3 बिस्वा में 1/12 हिस्सा, ख0नं0 1918, 1919, 2030 किता 3 कुल रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा में 1/3 हिस्सा, ख0नं0 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903 किता 6 कुल रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, में 1/3 हिस्से का मूल्या पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....27...माह 09 सन् 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)